रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277123
CG-DL-E-13102026-277123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948
No.613] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

सं. एचआरडी-I/6/2024/भ.नि./मुख्यालय कादर.— केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 14 की उपधारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (कनिष्ठ सचिवालय सहायक) भर्ती नियम, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति—** जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और केंद्रीय सरकार से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ सचिवालय सहायक।	25* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	केंद्रीय बोर्ड समूह 'ग'। (केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' के पदों के समतुल्य)	स्तर-2 [रु.19,900 - 63,200]	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी उया नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 30 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
(I) 70 प्रतिशत रिक्तियां मुख्यालय के बहु कार्य कर्मचारीवृन्द में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त के प्रतिक्षेपण के अध्यधीन रहते हुए,जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: - (i) जिन्होंने इस पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ii) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और (iii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा समय-समय पर यथाविहित, कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किया हो। परंतु जिन व्यक्तियों ने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण को पूरा करना होगा, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, विचार किया जाएगा। **टिप्पण 1**: जो व्यक्ति दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(II)** 30 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900) में बहु कार्य कर्मचारीवृन्द में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी; जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :-	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें: मुख्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I-अध्यक्ष; मुख्यालय प्रशासन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त – II – सदस्य; कर्मचारी राज्य बीमा निगम या भारत सरकार के किसी अन्य संगठन से, अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसा एक अधिकारी – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900) में बहु कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ii) जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है; और (iii) जिन्होंने अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।		

रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./382/2026-27]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2026

No. HRD-I/6/2024/RR/HeadQuartersCadre.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 14 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020*)* and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation (Junior Secretariat Assistant) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Secretariat Assistant in the Employees' Provident Fund Organisation under the administrative control of the Ministry of Labour and Employment, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Junior Secretariat Assistant, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.- The number of the post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Secretariat Assistant.	25* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Central Board Group 'C'. (Equivalent to Group 'C' posts in the Central Government.)	Level-2 (Rs.19,900 - 63,200)	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 70% by promotion; (ii) 30% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
(I) 70% of the vacancies shall be filled on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit from amongst the Multi Tasking Staff of Head Office, subject to the following conditions :— (i) rendered three years regular service in the post; and (ii) passed typing skill test with minimum speed of thirty words per minute in English or twenty-five words per minute in Hindi; and (iii) completed mandatory training program for promotion to the post of Junior Secretariat Assistant as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation from time to time. Provided that persons who have not completed	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: Regional Provident Fund Commissioner-I of Headquarters – Chairman; Regional Provident Fund Commissioner –II of Headquarters Administration – Member; One officer not below the rank of Under Secretary or equivalent from Employees' State Insurance Corporation or other	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

mandatory training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall be considered subject to the condition that such persons shall complete the required training within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. **Note 1:** Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion. **Note 2:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **(II)** 30% of the vacancies shall be filled through Limited Departmental Competitive Examination from amongst the Multi Tasking Staff in level 1 (18000-56900) in the Pay Matrix subject to the following conditions :- (i) rendered three years regular service in the post of Multi Tasking Staff in pay level 1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix**;** and (ii) 12th standard pass from a recognised Board; and (iii) passed typing skill test with minimum speed of thirty words per minute in English or twenty- five words per minute in Hindi.	organisation of the Government of India – Member.	

RAMESH KRISHNAMURTHI, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./382/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.10.13 21:53:46 +05'30'